

उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
ठी0 सी0 12 वी0  
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक: 114586

/सी-6/N67/का.-208/18

दिनांक: 05-01-18

### कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश में कृषकों द्वारा कृषि अपशिष्ट जलाने से उत्पन्न वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने हेतु राज्य जैव ऊर्जा नीति के प्राविधानों के अनुसार विकास बोर्ड, उ0प्र0 द्वारा बायो ब्रिकेट बनाये जाने के प्लान्ट लगाने पर उ0प्र0 सरकार द्वारा सबसिडी दिये जाने का प्राविधान है। इस सम्बन्ध में बायो ब्रिकेट का उद्योगों/भट्टों आदि में प्रयोग को प्रोत्साहित किये जाने हेतु यह आवश्यक है कि उद्योगों/भट्टों आदि को निर्गत की जाने वाली वायु सहमति में इस आशय की शर्त लगायी जाये कि उद्योगों में स्थित बायलरों/भट्टियों/ईट भट्टों आदि में ईंधन के रूप में यथासंभव कम से कम 20 प्रतिशत बायो ब्रिकेट का प्रयोग उपलब्धता के अनुरूप किया जाये। उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से किया जाये तथा तदनुसार सहमति आदेश में शर्त अधिरोपित की जाये।

(आशीष तिवारी)  
सदस्य सचिव

### प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. सदस्य संयोजक, उ0प्र0 जैव विकास ऊर्जा बोर्ड, पंचम तल, योजना भवन, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1,2,3,4,5,6 एवं 7), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
4. सभी क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
5. गार्ड फाईल। P.D.(U)

०५-८५१  
०५.०१.१८  
प्राप्ति संलग्न/०४

०५.११.१८  
(पी० एस० ओड्जा)  
राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक  
उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड  
नियंत्रण विभाग, उधमी

०५.११.१८  
०५.०१.१८  
सदस्य सचिव